न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 12/2018

प्रार्थीः—

1. श्री भंवरलाल पुत्र श्री कुनाराम उम्र 60 वर्ष
2. श्री ढलाराम पुत्र श्री कुनाराम उम्र 51 वर्ष
3. श्री भीमाराम पुत्र श्री कुनाराम उम्र 48 वर्ष जातिगण कीर निवासीगण मानपुरा कीरों की ढाणी तहसील पाली जिला पाली

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी श्री घीसुलाल उम्र 42 वर्ष
2. श्री कालूराम पुत्र श्री घीसुलाल उम्र 21 वर्ष जातिगण भाट निवासीगण जोगमाया मंदिर के पास, मानपुरा भाखरी तहसील पाली जिला पाली
3. श्रीमती लीलादेवी पत्नी श्री भगाराम उम्र 45 वर्ष
4. श्री भगाराम पुत्र श्री चतराराम उम्र 48 वर्ष जातिगण भाट निवासीगण भाटों का बास, सज्जन कॉलेज के पास, मानपुरा भाखरी तहसील पाली जिला पाली
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी पाली

उपस्थितिः—

1. श्री जूंझाराम परमार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री पवन सिंघल, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

—:आदेशः— दिनांक 11.07.19

1- प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जा व काश्तसुरा सहखातेदारी की गैर खातेदारी की कृषि भूमि सरहद मौजा मानपुरा पटवार हल्का हेमावास भु—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मण्डली तहसील पाली में खसरा नंबर 267 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा किस्म कच्छार दोयम एवं खसरा नंबर 270 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा सालाना राजस्व लगान 40 रूपये 01 पैसा स्थित है जिस भूमि पर मौके पर प्रार्थीगण एवं सह खातेदारान के बीच भौतिक रूप से बंटवाड़ा हो रखा है एवं माठे कायम की जाकर तारबंदी व धोरा लगाया हुआ है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि पर हजारे के फुल तथा जौ की ककड़ी की फसल बोई हुई है जो मौके पर आज भी खड़ी है जिस भूमि की जमाबंदी की नकल साथ पेश है। जिस भूमि को आगे प्रार्थना—पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई हक, स्वत्व एवं अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण झगड़ालू प्रवृति के तथा अपराधिक प्रकृति के लोग है जिनके विरूद्ध फौजदारी प्रकरण हत्या के एवं अन्य अपराधिक प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है जिसकी चार्ज शीट की नकलें साथ पेश है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 दिनांक 30—10—2017 को अपने हाथों में लाठीया लेकर तथा टेक्टर लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये तथा जबरन टैक्टर से प्रार्थी की हजारे की फसल एवं जौ की फसल नष्ट करने पर आमादा हुये तथा वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी गई जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना सदर

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

पाली में प्रार्थी ढलाराम द्वारा पेश की गई जिस पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार पाली के न्यायालय में धारा 107, 116(3) सी.आर.पी.सी. के तहत इस्तगासा पेश किया गया जिसकी नकल प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश है। इसके बाद पुनः अप्रार्थीगण दिनांक 13–12–2017 को प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्रवेश हुये तथा हजारे की फसल में से फुल चोरी करके ले जाने लगे तथा जबरन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे जिनकों प्रार्थी ढलाराम द्वारा तथा पड़ौसी काश्तकार द्वारा समझाया गया परन्तु प्रार्थी ढलाराम तथा पड़ौसी काश्तकार शेषाराम तथा मछली के ठेकेदार व मजदुरों द्वारा अप्रार्थीगण को समझाया गया इसके उपरान्त भी प्रार्थी ढलाराम के साथ झगड़ा टंटा करने लगे तथा मारपीट करने पर आमादा हुये तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दी तथा प्रार्थीगण व उनके परिवार को जान से खत्म करने की धमकी दी गई जिस पर पुलिस थाना सदर में फोन करने पर पुलिस मौके पर आई व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को धारा 151 सी.आर.पी.सी. के तहत गिरफ्तार किया जाकर इस्तगासा अंतर्गत धारा 107, 116(3) सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार पाली के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आयंदा झगड़ा टंटा नहीं करने बाबत 5 हजार रूपये के जमानत मुचलके पर 6 माह के लिये पाबंद कर जमानत पर छोड़ा गया जिस इस्तगासा तथा जमानत मुचलको की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश है। अप्रार्थीगण को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा पाबंद करने के उपरान्त भी पुनः दिनांक 25–12–2017 एवं 26–12–2017 को अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर आये तथा प्रार्थी भीमाराम को फसल में सिंचाई करने से रोका तथा फसल में सिंचाई करने पर जान से मारने की धमकी दी गई जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ढलाराम द्वारा दिनांक 29–12–2017 को पुलिस अधीक्षम महोदय, पाली को प्रस्तुत की गई जिसकी नकल साथ पेश है तथा वादग्रस्त भूमि के फोटो मय सी.डी. साथ पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई हक, स्वत्व एवं अधिकार नहीं है इसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनकी कब्जा व काश्तसुदा गैर खातेदारी की कृषि भूमि के कब्जे एवं काश्त में दखल करने पर आमादा है तथा झगड़ा टंटा करने पर आमादा है तथा प्रार्थीग्ण की कृषि भूमि पर जाने वाले रास्ते की भूमि पर भी अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध करने की धमकी दी गई है अगर अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल की जाती है तथा बाधा पहुंचाई जाती है तो प्रार्थीगण द्वारा इसका विरोध किया जायेगा जिससे मौके पर झगड़ा टंटा होगा तथा मुकदमेबाजी होगी जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा प्रार्थीगण अपने कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से मेहरूम रहेगें जिससे प्रार्थीगण को भारी असुविधा एवं कठिनाई होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में नहीं हो सकेगी। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं हालात को देखते हुये सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण का वाद का मकसद समाप्त हो जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैकि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के अंतिम निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 व 4 प्रार्थीगण की कब्जा व काश्तसुदा कृषि भूमि सरहद मौजा मानपुरा, के खसरा नंबर 267 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा तथा खसरा नंबर 270 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा किस्म कच्छार दोयम कुल रकबा 16 बीघा में से प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त तथा उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण दखल नहीं करे एवं प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें। साथप ही प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में फसल बोने से, फसल में सिंचाई करने से तथा फसल की कटाई एवं निराई करने से नहीं रोके साथ ही उक्त वादग्रस्त भुमि पर आने जाने की रास्ते की भुमि व खसरा नंबर 279 गैर मुमकिन गौचर की

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

भूमि पर कोई कब्जा या अतिकमण नहीं करे एवं रास्त अवरूद्ध नहीं करे ओर न तो यह कृत्य अप्रार्थीगण स्वयं करे न ही अपने किसी नौकर, एजेन्ट या रिश्तेदार से ही करावें।

2- प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3- अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जा काश्त सहखातेदारी की गैर खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा मानपुरा में खसरा नंबर 267 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा किस्म कच्छार दोयम एवं खसरा नंबर 270 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा की कुल रकबा 16 बीघा भूमि स्थित हो। यह भी गलत है कि मौके पर प्रार्थीगण एवं उसके खातेदारान के बीच भौतिक बंटवारा हो चुका हो एवं उस पर तारबंदी व धौरा लगाया गया हो। यह भी गलत है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि पर हजारे के फूल व जौ व ककड़ी की फसल बोई हुई हो। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीगण के साथ भीमा,लच्छा पिसरान हरी का 2/3 हिस्सा है इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा गलत एवं निराधार वाद प्रस्तु किया गया है। अप्रार्थीगण झगड़ालू प्रवृति एवं आपराधिक प्रवृति के लोग नहीं है, न ही उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को बदनाम करने हेतु झूठे व बेबुनियाद आरोप लगाये गये है, इस संबन्ध में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खिलाफ डिफामेशन की कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित रखते है। अप्रार्थीगण कमांक 1 से 4 ने दिनांक 30–10–2017 को अपनी हाथों लाठियां लेकर तथा ट्रेक्अर लेकर वादग्रस्त भूमि पर आने तथा जबरन ट्रेक्टर से प्रार्थीगण की हजारे की फसल एवं जौ की फसल नष्ट करने पर आमादा हुए हो तथा वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी हो तथ्य गलत है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 107,116(3) सीआरपीसी के तहत गलत एवं निराधार कार्यवाही पेश की है, प्रार्थीगण स्वयं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 279 की गैर मुमकिन गौचर भूमि पर कब्जा कर हजारे के फूल की खेती तथा उस पर कांटों की बाड़ होने का कथन किया है। वास्तविकता यह है कि खसरा नंबर 279 की गैर मुमकिन गौचर भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, खसरा नंबर 279 की सैकड़ों बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि है, जिस पर भाट समाज के लोगों का पीढीयों से कब्जा चला आ रहा है, उनके द्वारा वहां पर सब्जीयां व फूल उगाये जाते है, उससे इन परिवारों का गुजर बसर होता है। प्रार्थीगण द्वारा भाट समाज के लोगों एवं महिलाओं को जबरदस्ती बेदखल कर गोचर भूमि को अपनी गैर खातेदारी भूमि के साथ मिलाकर नाजायज कब्जा करने का प्रयास करने पर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके संबन्ध में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत एवं झूठी रिपोर्ट की गई, अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 267 व 270 के कब्जा काश्त में कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है प्रार्थीगण द्वारा गौचर भूमि पर कब्जा करना चाहते है, उसके द्वारा गोचर भूमि पर कब्जा कायम करने की आड़ में उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत एवं निराधार रूप से प्रस्तुत किया है। यह भी गलत है कि दिनांक 13–12–2017 को अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्रवेश करके हजारे की फसल में से फूल चोरी करने एवं कब्जा करने की कोशिश की हो, जिस पर समझाईश की हो, उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण झगड़ा टंटा करने एवं मारपीट करने पर उतारू हो। समस्त तथ्य गलत, झूठे एवं बेबुनियाद है। दिनांक 13–12–2017 को न तो वादग्रस्त भूमि पर हजारे के फूल की फसल थी, न ही उक्त तिथि को अप्रार्थीगण द्वारा फूल चुराये, न ही कब्जा करने की कोशिश की न ही कोई मारपीट अथवा झगड़ा हुआ। यह भी गलत है कि उक्त तिथि को पुलिस मौके पर आई हो, अप्रार्थीगण को गिरफ्तार कर पाबंद किया गया हो। अपितु प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

द्वारा दिनांक 30–10–2017 की घटना के संबन्ध में दिनांक 1–11–2017 को प्रस्तुत गलत एवं झूठी रिपोर्ट के संबन्ध में दिनांक 13–12–2017 को जमानत मुचलकें प्रस्तुत किये गये। प्रार्थीगण स्वयं अप्रार्थीगण का पीढीयों पुराना कब्जा छुड़ाकर गोचर भूमि पर कब्जा करना चाहते है, इस कारण अप्रार्थीगण पर दबाव बनाने के लिए गलत व झूठी कार्यवाहीयां प्रस्तुत कर रहा है। अप्रार्थीगण को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा पाबंद करने के उपरान्त भी पुनः दिनांक 25–12–2017 एवं 26–12–2017 को वादग्रस्त आराजी पर गये हो एवं वादी भीमाराम को फसल में सिंचाई करने से रोका हो एवं सिंचाई करने पर जान से मारने की धमकी दी हो, प्रार्थीगण ढगलाराम द्वारा दिनांक 29–12–2017 को पुलिस अधीक्षक, पाली को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, न ही ऐसी कोई रिपोर्ट की प्रतिलिपि पत्रावली पर प्रस्तुत की है, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटो का वादग्रस्त भूमि से कोई संबन्ध नहीं है, न ही फोटो से किसी कृषि भूमि की पहचान एवं स्थिति स्पष्ट होती है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की गैर खातेदारी भूमि पर कब्जा व काश्त में कभी भी दखल करने का आमादा नहीं हुए, प्रार्थीगण द्वारा अपनी गैर खातेदारी भूमि के पास खसरा नंबर 279 की गोचर भूमि आई हुई है, जिस पर पीढीयों से भाट समाज के लोगों का कब्जा चला आ रहा है, उनके द्वारा वहां पर सब्जीयां व फूल उगाये जाते है, उससे इन परिवारों का गुजर बसर होता है, प्रार्थीगण द्वारा भाट समाज के लागों व महिलाओं को जबरदस्ती बेदखल कर गोचर भूमि को अपने गैर खातेदारी के साथ मिलाकर नाजायज कब्जा करना चाहते है, जिसका उन्हें गोचर भूमि पर कब्जा करने का कोई हक, अधिकार नहीं है। उक्त गोचर भूमि पर कब्जा करने की नियत से अप्रार्थीगण से झगड़ा टंटा करता है, प्रार्थीगण की कृषि भूमि में जाने का कोई रास्ता नहीं है, न ही रास्ते पर अतिक्रमण करने की धमकी दी गई है, अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को गोचर भूमि पर कब्जा करने से रोकने का प्रयास करने पर प्रार्थीगण लड़ाई टंटा करते है, उनके द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ गलत एवं निराधार वाद प्रस्तुत किया गया है, गौचर भूमि पर वादी को कब्जा करने अथवा कब्जा रखने का कोई अधिकार व हक नहीं है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग के महरूम रहने का प्रश्न ही नहीं है, न ही अप्रार्थीगण द्वारा उसकी गैर खातेदारी भूमि के संबन्ध में कभी भी कोई धमकी दी गई है, न ही अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है, न ही प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति होने वाली है, प्रार्थीगण द्वारा गलत एवं निराधार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जवाबदावे में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होने वाली है, न ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है, न ही प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है, इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावें।

4- बहस विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गई।

5- विद्धान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की गैर खातेदारी की कृषि भूमि सरहद मौजा मानपुरा भाखरी में खसरा नंबर 267 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नंबर 270 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है जिसका उन्हें कोई हक, स्वत्व एवं अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर जाने वाले रास्ते की भूमि पर भी अतिक्रमण रास्ता अवरूद्ध करने की धमकी दी गई है। अगर अप्रार्थीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में फसल बोने से,

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

फसल में सिंचाई करने से तथा फसल की कटाई एवं निराई करने से नहीं रोकने एवं रास्ते की भूमि पर कोई कब्जा या अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे।

6- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दावे में रिपोर्ट का जिक्र है। अप्रार्थीगण की खेती चारागाह की जमीन पर है। इस पर कीर समाज कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थीगण का वहां कब्जा काश्त नहीं हैं। प्रार्थीगण दावा अपनी जमीन का कर रहे है। इस दावा की आड़ में दबाव बना कर अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि पर प्रार्थीगण अतिक्रमण करना चाहते है। प्रार्थीगण की गैर खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण ने कभी कब्जा करने की कोशिश नहीं की है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत दावा पेश किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

7- बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये रेकर्ड का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम मानपुरा की जमाबंदी संवत् 2075 से 2075 के खाता संख्या 200 में खसरा नंबर 267 रकबा 9.09 बीघा एवं खसरा नंबर 270 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि के प्रार्थीगण 1/3 हिस्सा के गैर खातेदार दर्ज है। पुलिस थाना सदर पाली द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पाली के न्यायालय में धारा 107, 116(3) सी.आर.पी.सी. के तहत प्रस्तुत इस्तगासा संख्या 39 दिनांक 12–11–2017 में खसरा नंबर 269 गै0मु0 गौचर भूमि पर प्रार्थी ढलाराम पुत्र कुनाराम जाति कीर द्वारा अपना कब्जा होना बताया गया है इसी प्रकार इस्तगासा संख्या 78 दिनांक 13–12–2017 में विवाद की विषयवस्तु उक्त गौचर भूमि पर अतिक्रमण है। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर यही पाया जाता है कि इस विचाराधीन प्रकरण में खसरा नंबर 267 व 270 के संबन्ध में विवाद न होकर खसरा नंबर 269 गै0मु0 गौचर की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर है। खसरा नंबर 267 व 270 के अतिक्रमण से अप्रार्थीगण द्वारा इंकार किया गया है तथा खसरा नंबर 269 की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अपना कब्जा होना बताया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की गैर खातेदारी की भूमि के संबन्ध में विवाद होना नहीं पाया जाता है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। गैर मुमकिन गौचर भूमि पर अतिक्रमण से प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होना प्रथम दृष्ट्या नहीं पाया जाता है। यदि सरकारी भूमि पर किसी का अतिक्रमण है तो उसको हटाने के लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर अतिक्रमण हटावाया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा उसकी गैर खातेदारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया हो।

8- अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर दिनांक 11.07.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner